2012:सीजीएचसी:9108

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

**एकलपीठ : माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश**

**दांडिक अपील क्रमांक : 100 /2004**

**दलबीर सिंह**

**बनाम**

**छत्तीसगढ़ राज्य**

## निर्णय

**निर्णय हेतु दिनांक : 05.07.2012 को सूचीबद्ध करें।**

**सही/-**

**आर.एस. शर्मा**

**न्यायाधीश**

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

**एकलपीठ : माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश**

## दांडिक अपील क्रमांक : 100 /2004

**अपीलार्थी:** दलबीर सिंह, पिता प्रताप सिंह, आयु 37 वर्ष, निवासी जरही, भटगाँव, थाना प्रतापपुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

बनाम

**प्रत्यर्थी:** छत्तीसगढ़ राज्य

**उपस्थिति:**

श्री शक्तिराज सिन्हा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री आर.आर.सिन्हा, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए पैनल अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।

## निर्णय

(दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 को परिदत्त)

1. यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 41/1995 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, सरगुजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-1-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी दलबीर सिंह को निम्नलिखित रीति से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है, जिसमें सजाएं साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है:-

| **दोषसिद्धि** | **दंडादेश** |
|---|---|
| अंतर्गत धारा 306 भा.द.वि. | 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना रु.500/-, जुर्माने के व्यतिक्रम में 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा । |
| अंतर्गत धारा 498-क भा.द.वि | 6 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना रु.500/-, जुर्माने के व्यतिक्रम में 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। |

विद्वान प्रकरण न्यायाधीश ने सह-अभियुक्त प्रताप सिंह और सुभद्रा को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:-

मृतका शशि का विवाह दिनांक 15-12-1993 को अपीलार्थी दलबीर सिंह के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात, मृतका अपने ससुराल में पति (अपीलार्थी), ससुर और सास के साथ रह रही थी। दोषमुक्त किया गया सह-अभियुक्त प्रताप सिंह मृतका का ससुर है और दोषमुक्त किया गया सह-अभियुक्त सुभद्रा मृतका की ननद है। प्रताप सिंह ने विंध्याचल सिंह (अ.सा.-14, मृतका के पिता) से अपनी पुत्री सुभद्रा के विवाह के आयोजन में वित्तीय सहायता मांगी थी। विंध्याचल सिंह (अ.सा.-14) ने प्रताप सिंह को सुभद्रा के विवाह के आयोजन में सहायता करने का आश्वासन दिया था। अपीलार्थी मृतका के साथ भटगाँव गया और

सुभद्रा के विवाह के लिए मृतका के गहनों/जेवरातों की मांग की, परंतु मृतका ने अपने जेवर देने से मना कर दिया। अपीलार्थी ने मृतका को थप्पड़ मारा। अपीलार्थी और दोषमुक्त किया गये सह-अभियुक्तों ने मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे प्रताड़ित किया। दिनांक 24-01-1994 को अपीलार्थी ने मृतका के शरीर पर मिट्टी का तेल (केरोसिन) डाला और उसे आग लगा दी। मृतका शशि को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटगाँव ले जाया गया जहाँ डॉ. महेश्वर सिंह (अ.सा.-1) ने उसका उपचार किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दिया। डॉ. महेश्वर सिंह (अ.सा.-1) ने प्रदर्श पी-2 के माध्यम से मृतका का मृत्यकालिक कथन अभिलिखित किया। मृतका को आगे के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय, अंबिकापुर भेजा गया जहाँ उपचार के दौरान मृतका की मृत्यु हो गई। विनय कुमार सिंह (अ.सा.-2, मृतका का भाई) ने अम्बिकापुर पुलिस थाना में लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-3 सी) दिया। पुलिस थाना अंबिकापुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-3बी) दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी जिला चिकित्सालय, अंबिकापुर पहुँचे और पंचों को सूचना दी तथा मृतका के शव का मृत्यु समीक्षा तैयार किया। मृतका के शव को परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय, अंबिकापुर भेजा गया। डॉ. शम्सुदोहा (अ.सा.-6) ने डॉ. एस.एस. कुजूर के साथ मृतका के शव का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-10) दिया। प्रदर्श पी-10 में, उन्होंने यह राय दी कि मृतका की मृत्यु का कारण और स्वरूप अत्यधिक मृत्यु-पूर्व जलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न सदमा था।

आगे की विवेचना में, प्रदर्श पी-4 के माध्यम से पत्र प्रदर्श पी-5 से पी-10 तक

ज़ब्त किए गए। मौका का नक्शा (प्रदर्श पी-11) तैयार किया गया। प्रदर्श पी-11 के माध्यम से माचिस, सफेद रंग की बोतल, पर्दे का कपड़ा, कागज के टुकड़े, झाड़ू और अंतर्देशीय पत्र ज़ब्त किए गए। घटना स्थल से प्रदर्श पी-13 के माध्यम से टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी ज़ब्त किए गए और प्रदर्श पी-14 के माध्यम से जले हुए/पिघले हुए इलेक्ट्रॉनिक तार, लाल रंग की डायरी, पत्र, एक पीले रंग का गमछा ज़ब्त किया गया। प्रदर्श पी-14 के माध्यम से पत्र (प्रदर्श पी-15 से पी-26) भी ज़ब्त किए गए। ज़ब्त की गई माचिस, बोतल और ज़ब्तशुदा जले हुए कपड़े न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर भेजे गए। वहां से प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-30) प्राप्त हुई। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर के न्यायालय में अपीलार्थी और दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उक्त न्यायालय ने मामले को सत्र न्यायालय अंबिकापुर को उपार्पित कर दिया। वहां से यह मामला अंतरण पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को प्राप्त हुआ, जिन्होंने प्रकरण संपन्न किया और अपीलार्थी को दोषसिद्ध एवं दंडित किया तथा सह-अभियुक्तों प्रताप सिंह और सुभद्रा को उपरोक्त अनुसार दोषमुक्त कर दिया।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री शक्तिराज सिन्हा ने तर्क दिया कि विनय कुमार सिंह (अ.सा. -2) मृतक के भाई हैं, श्रीमती लालमनी (अ.सा. -3) माता हैं और विंध्याचल सिंह (अ.सा. -14) पिता हैं। श्रीमती साधना सिंह (अ.सा. -12) भाभी हैं और जय प्रकाश (अ.सा. -13) मृतक के चचेरे भाई हैं। वे अत्यधिक हितबद्ध साक्षी हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अभियोजन यह सिद्ध

करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक को क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। अभियोजन नें यह स्थापित नहीं किया है कि मृतक की मृत्यु से पूर्व, उसे अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। इस संबंध में साक्ष्य अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने के लिए पूर्णतः अपर्याप्त है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि डॉ. महेश्वर सिंह (अ.सा.-1) ने मृतक का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था, जिसमें मृतक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने स्वयं अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और स्वयं को आग लगा ली। अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498-क के तहत दंडनीय अपराध के तत्वों को स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्त प्रताप सिंह और सुभद्रा को दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए, उसी साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता भी उसके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है।

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आर.आर. सिन्हा ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दण्ड में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और सत्र प्रकरण क्रमांक 41/1995 के अभिलेखों का भी अवलोकन किया। अपीलार्थी की दोषसिद्धि विनय

कुमार सिंह (अ.सा. -2), श्रीमती लालमनी (अ.सा. -3), श्रीमती साधना सिंह (अ.सा. -12) और विंध्याचल सिंह (अ.सा. -14) के साक्ष्यों पर आधारित है।

6. यह निर्विवाद है कि मृतक का विवाह घटना की तिथि से लगभग 1½ माह पूर्व अपीलार्थी के साथ संपन्न हुआ था। यह भी निर्विवाद है कि मृतक की मृत्यु दिनांक 24-1-1994 को हुई थी, अर्थात उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर, और उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई थी।

7. विनय कुमार सिंह (अ.सा.-2), श्रीमती लालमनी (अ.सा.-3), श्रीमती साधना सिंह (अ.सा.-12) और विंध्याचल सिंह (अ.सा.-14) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका का विवाह अपीलार्थी के साथ दिनांक 15-12-1993 को चांपा में संपन्न हुआ था। उन्होंने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका, विनय कुमार सिंह (अ.सा.-2) की बहन और श्रीमती लालमनी (अ.सा.-3) एवं विंध्याचल सिंह (अ.सा.-14) की पुत्री थी। विनय कुमार सिंह (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि विवाह के समय अपीलार्थी को 70,000/- रुपये की राशि, टीवीएस मैक्स मोटरसाइकिल, टेलीविजन, गोदरेज अलमारी, सोफा सेट और पलंग दिए गए थे। उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह मृतका को लेने उसके ससुराल गया था, लेकिन अपीलार्थी और उसके माता-पिता ने मृतका को उसके साथ नहीं भेजा। उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका ने उसे बताया था कि अपीलार्थी के पिता की अनुमति के बिना वह अपने मायके नहीं जा सकती। उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका ने उसे बताया था कि अपीलार्थी ने अपनी बहन सुभद्रा (दोषमुक्त अभियुक्त) के विवाह के लिए धन की मांग की थी।

8. श्रीमती लालमनी (अ.सा. -3), श्रीमती साधना सिंह (अ.सा.-12) और विंध्याचल

सिंह (अ.सा. -14) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका, अपीलार्थी के साथ रायगढ़ में रहती थी। इसके पश्चात, मृतका और अपीलार्थी भटगाँव चले गए जहाँ अपीलार्थी तैनात था। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि जब विंध्याचल सिंह (अ.सा. -14) अपनी पुत्री (मृतका) को लेने के लिए अपीलार्थी के घर गया था, तो अपीलार्थी ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रताप सिंह (दोषमुक्त अभियुक्त) ने विंध्याचल सिंह (अ.सा.-14) से अपनी पुत्री सुभद्रा (दोषमुक्त अभियुक्त) के विवाह को संपन्न कराने के लिए आर्थिक सहायता माँगी थी। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि विंध्याचल सिंह (अ.सा. -14) ने प्रताप सिंह (दोषमुक्त अभियुक्त) को सुभद्रा (दोषमुक्त अभियुक्त) का विवाह संपन्न कराने के लिए सहायता करने का वचन दिया था। उन्होंने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी और प्रताप सिंह (दोषमुक्त अभियुक्त) ने मृतका के आभूषणों/गहनों की मांग की थी।

9. जय प्रकाश (अ. सा.-13) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह भटगाँव गया था और लगभग 12-13 दिनों तक अपीलार्थी के घर पर रुका था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ क्रूरता की गई थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी मृतका के आभूषणों की मांग कर रहा था, लेकिन मृतका ने उन्हें देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अपीलार्थी ने मृतका को थप्पड़ मारा। विनय कुमार सिंह (अ. सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 22-01-1994 को वह भटगाँव में अपीलार्थी के घर गया था। मृतका ने उसे बताया कि अपीलार्थी उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था। तत्पश्चात, वह अपने घर वापस आ गया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 24-01-1994 को उसे सूचना प्राप्त हुई कि मृतका झुलस गई है और उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वह अंबिकापुर चिकित्सालय गया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका जलने के कारण घायल हुई थी और मृतका ने उसे

घटना का विवरण सुनाया। तत्पश्चात, उसने थाना अंबिकापुर में लिखित शिकायत (प्रदर्श पी.-3सी) दर्ज कराई। उसने आगे अभिसाक्ष्य

दिया है कि उसने पुलिस चौकी भटगाँव में मृतका द्वारा लिखे गए पत्र सौंपे, जिन्हें प्रदर्श पी.-4 के माध्यम से उससे जब्त किया गया।

10. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए आधार बनाया जा सकता है।

11. अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 2010 एससी (4) 3391 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

> "23. ............कोई अभियोजन साक्षी जो केवल "तंग किया" या "प्रताड़ित किया" शब्दों का प्रयोग करता है और अभियुक्त के उस सटीक आचरण का वर्णन नहीं करता है, जो उसके अनुसार तंग करने या प्रताड़ना की कोटि में आता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 304ख के अधीन मामलों में न्यायालय द्वारा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से, उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाया है कि जगदीश और गोर्धनी के विरुद्ध अभियोग युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं हुए हैं और उनका

मामला अमर सिंह के मामले से सुभिन्न है तथा जगदीश और गोर्धनी को इसलिए फँसाया गया प्रतीत होता है क्योंकि वे अमर सिंह के परिवार के सदस्य थे।"

12. **एम. मोहन बनाम राज्य, द्वारा पुलिस उप अधीक्षक, एआईआर 2011 एससी 1238** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

> "40. संहिता की धारा 107 के अधीन 'किसी बात के दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। हम धारा 107 को यहाँ उद्धृत करना उचित समझते हैं, जो इस प्रकार है:
>
> "107. किसी बात का दुष्प्रेरण — वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो —
>
> प्रथम — उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है;अथवा
>
> द्वितीय — उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो; अथवा

तृतीय — उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

धारा 107 के साथ सम्मिलित किया गया स्पष्टीकरण 2 इस प्रकार है:

"स्पष्टीकरण 2 — जो कोई किसी कार्य के किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्‌वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के किए जाने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।"

41. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618 : (एआईआर 2001 एससी 1238 3837) का अवलंब लिया है, जिसमें इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को इसी प्रकार के एक मामले पर विचार करने का अवसर मिला था। पति और पत्नी के बीच एक विवाद में, अपीलार्थी-पति ने कहा कि "तुम जो चाहो वह करने के लिए और जहाँ चाहो वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हो"। इसके पश्चात, अपीलार्थी रमेश कुमार की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस न्यायालय ने कंडिका 20 में 'उकसावे' के अर्थ के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया है। कंडिका 20 इस प्रकार है:

> "20. उकसाने का अर्थ है किसी 'कार्य' को करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ाना, भड़काना, उत्तेजित करना या प्रोत्साहित करना। उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया ही जाए, या जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक और विशिष्ट रूप से परिणाम का सूचक ही हो। फिर भी, परिणाम को भड़काने की एक उचित निश्चितता स्पष्ट होनी चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहाँ अभियुक्त ने अपने कार्यों या चूक द्वारा या आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की हों कि मृतक के पास

आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न बचा हो, जिस स्थिति में उकसाने का अनुमान लगाया जा सकता था। क्रोध या आवेश में बिना परिणाम की आशय के कहे गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता।"

42. उक्त मामले में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य और सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने सीमा (उसमें अपीलकर्ता की पत्नी) को आत्महत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित किया था।

43. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल एवं अन्य (1994) 1 एस.सी.सी. 73: (ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1418) में, इस न्यायालय ने आगाह किया है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का आकलन करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़ित के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाली पीड़िता, उस समाज के लिए सामान्य चिड़चिड़ापन, कलह और घरेलू जीवन के मतभेदों के प्रति अति-संवेदनशील थी, जिससे वह पीड़िता संबंधित थी, और ऐसे चिड़चिड़ेपन, कलह और मतभेद से किसी दिए गए समाज में वैसी ही परिस्थितियों वाले व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, तो न्यायालय के अंतःकरण को इस

निष्कर्ष का आधार बनाने के लिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि वह अभियुक्त जिसके विरुद्ध आत्महत्या का आरोप विरचित किया है को दोषी पाया जाना चाहिए।

44. चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), 2009 (16) एस.सी.सी. 605 में, इस न्यायालय को दुष्प्रेरण के इस पहलू पर विचार करने का अवसर मिला था। न्यायालय ने "उकसाने" और "प्रेरित करने" शब्दों के शब्दकोश अर्थों पर विचार किया। न्यायालय का मत था कि दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को किए जाने के लिए उसे भड़काने, उत्तेजित करने या प्रोत्साहित करने का आशय होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या की प्रवृत्ति का स्वरूप दूसरों से भिन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति की आत्म-सम्मान तथा स्व-अभिमान की अपनी धारणा होती है। इसलिए, ऐसे मामलों में कोई बँधा-बँधाया फॉर्मूला निर्धारित करना असंभव है और प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

45. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी कार्य को करने में जानबूझकर सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है। आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने हेतु अभियुक्त की ओर से किसी सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

46. विधायिका की आशय और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का सिद्धांत स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अपराध करने का स्पष्ट अपराधिक मनः स्थिति अर्थात दोषपूर्ण आशय होना चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक ने कोई विकल्प न देखते हुए आत्महत्या की हो, और यह कार्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने के आशय से किया गया होना चाहिए कि वह आत्महत्या कर ले।

13. चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), (2009) 16 एस.सी.सी. 605 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

> "19. जैसा कि रमेश कुमार, (2001) 9 एस.सी.सी. 618 में देखा गया है, जहाँ अभियुक्त ने अपने कार्यों या आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न बचा हो, वहाँ "उकसाने" का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि:"
>
> (i) अभियुक्त शब्दों, कार्यों या जानबूझकर की गई चूक या आचरण द्वारा मृतक को तब तक परेशान या चिढ़ाता रहा, जो कि एक जानबूझकर की गई चुप्पी भी हो सकती है, जब तक कि मृतक ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी या उसे अपने कार्यों, शब्दों या जानबूझकर की गई चूक या आचरण से आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया ताकि मृतक और तेजी से आगे की दिशा में बढ़े; और
>
> (ii) अभियुक्त का आशय मृतक को उपरोक्त वर्णित तरीके से कार्य करते हुए आत्महत्या करने के लिए उकसाने, आग्रह करने या प्रोत्साहित करने का था। निस्संदेह, अपराधिक मनः स्थिति की उपस्थिति उकसाने का आवश्यक सहवर्ती है।"

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध के लिए, क्रूरता के उन परिणामों को स्थापित करना आवश्यक है जिनसे किसी महिला के आत्महत्या करने या स्वयं

को जलाने या जीवन को खतरा पैदा होने की संभावना हो, ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क या 306 के तहत अभियोग सिद्ध किए जा सकें।

15. विनय कुमार सिंह (अ. सा. -2) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पुलिस अधिकारी को वे पत्र दिए जो मृतक द्वारा लिखे गए थे। अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि पत्र (प्रदर्श पी-5) में यह उल्लेख है कि कभी-कभी मृतक के चेहरे पर नीले धब्बे पड़ जाते थे। उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह भी सच है कि प्रदर्श पी-5 में यह भी उल्लेख है कि उसकी पत्नी ने उत्तर दिया था कि यह मछली खाने के कारण हो सकता है। कण्डिका 11 में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह यह नहीं कह सकता कि पत्र (प्रदर्श पी-5) मृतक द्वारा लिखा गया था या नहीं?

16. अभियोजन ने प्रदर्श पी-5 से पी-10 तक के पत्र और प्रदर्श पी-15 से पी-26 तक के पत्र प्रस्तुत किए।

17. प्रदर्श पी-15 में यह उल्लेख है कि:

> "उसका चिंता मत करना जब आप चाहो लेंगे हा दलबीर जी का एक रंगीन फोटो भेजना अभी नही होगा तो बोलना खिचवाकर देंगे............ चेहरे पर किस कारण दाग लगी है कही मछली खाकर दूध तो नही पी ली है।"

18. प्रदर्श पी-5 में यह उल्लेख है कि:

"अम्मॉ को कहना चिन्ता न करेगी सोनल को गुडडी समझ लेगी, भाभी चेहरे के दाग की भी चिन्ता न करेगी क्योंकि सफेद दाग नही जो चिन्ता की बात है। बस चेहरा साप काटने के जैसा कभी कभी नीला हो जाता है ये कहते है मुझे तुझसे डर लगता है कही नागीर तो नही रंग बदलते रहती है भाभी इलाज चल रहा है चक्कर का भी खा रही हूँ और चेहरे पर मलहम दिये है।"

19. प्रदर्श पी-16 को देखने से प्रतीत होता है कि प्रदर्श पी-16 अपीलार्थी द्वारा मृतका को भेजा गया था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ पत्र मृतक को उसके मित्रों द्वारा लिखे गए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. मृतका द्वारा लिखे गए पत्रों, अपीलार्थी और मृतक के मित्रों के पत्रों को देखने से, यह अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता कि मृतक को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा था या उसे पैसे लाने या गहने देने के लिए लगातार ताना मारा जा रहा था। इसके विपरीत, इन पत्रों से प्रतीत होता है कि वह अपीलार्थी के साथ प्रेम में थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि मृतक के चेहरे पर कुछ नीले धब्बे हो गए थे और वह इसे लेकर चिंतित थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उसे नए वातावरण में सामंजस्य बिठाने में कठिनाई हो रही थी।

21. डॉ. महेश्वर सिंह (अ. सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सेवन चौकी, भटगाँव में सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 24-1-1994 को शाम लगभग 5:30 बजे, अपीलार्थी दलबीर सिंह की पत्नी श्रीमती शशि (मृतका) को चिकित्सालय लाया गया था। उसे जलने की चोटें आई थीं। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया

है कि उन्होंने मृतका का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दिया। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर, उन्होंने मृतका का

मृत्यकालिक कथन (प्रदर्श पी-2) दर्ज किया। उन्होंने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह मृतका का मृत्यकालिक कथन दर्ज कर रहे थे, तब मृतका सचेत थी और मृत्यकालिक कथन देने के लिए स्वस्थ थी। प्रदर्श पी-2 में निम्नानुसार उल्लेख है:

".......

आप भटगांव अपने पति के साथ स्वयं आना चाहती थी कि आपके पति ने जबरदस्ती भटगांव लेकर आये थे?

मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी हम दोनों की मर्जी से भटगांव आये थे।

भटगांव आने में आपको कोई एतराज तो नही था? नही ससुराल वालों के बारे पूछने पर—

क्या आपको ससुराल वालों ने किसी प्रकार से परेशान किया?

हाँ ससुराल वालों ने मुझे मानसिक कष्ट पहुँचाया है जैसे कि — मेरे पति का चुपचुप रहना, खाना बनाने नहीं आना, कहाँ से इसको लेकर आये हैं? इत्यादि

आपके ससुराल वाले आपको पसंद करते थे?"

मेरा व्यवहार किसी प्रकार से खराब नहीं है, फिर भी ससुराल वाले मेरे से खुश नहीं हैं।

आप अपनें को क्यों जलाया?

मेरे आने पर पति का चुपचाप रहना, खुश न रहना, हमेशा दुःखी रहना मुझसे देखा नहीं जाता था और मैंने सोचा कि आज 15 दिनों में इतनी परेशानी है तो भविष्य में क्या होगा, इस तरह से मैं स्वयं में निराश हो गई थी।

आपको किसने जलाया?

मैंने स्वयं मिट्टी तेल डालकर माचिस लगा ली।

तब आप कहाँ थीं?

रसोई (किचन) में।

तब आपके पति क्या कर रहे थे?

शयनकक्ष (बेड रूम) में लेटे हुए थे।

क्या घर में कोई और था?

केवल हम दोनों ही थे।

क्या आज इसके पहले कोई लड़ाई-झगड़ा या मारपीट हुई थी?

नहीं।

आप क्या करना चाहती थीं?

मर जाना चाहती हूँ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्या आपके पति ने आपको मारने आदि की धमकी दी थी?

नहीं।

क्या आपके पति ने आपको मरने के लिए मजबूर किया?

नहीं, मैं स्वयं मर जाना चाहती हूँ। मैंने स्वयं मर जाने की कोशिश की है, इसमें मेरे पति निर्दोष हैं।

क्या आपने कोई पत्र लिखा है?

हाँ, पति के लिए पत्र लिखा है, रसोई (किचन) में हीटर के पास रखा है।

आत्महत्या करने का मुख्य कारण क्या है?

मैं अपने पति को दु:खी नहीं देख सकती हूँ, अभी केवल 15 दिनों में इतनी निराशा है तो भविष्य में क्या होगा, यही सोचकर मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ।"

22. के. दुरैराज (अ. सा.-9) और विजय कुमार विश्वकर्मा (अ. सा. -10) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि वे अपीलार्थी के घर गए थे। उन्होंने देखा कि मृतका बचाने के लिए चिल्ला रही थी। अपीलार्थी ने आग बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि पूछे जाने पर, मृतका ने उन्हें बताया कि उसने स्वयं को आग लगाई थी। डॉ. महेश्वर सिंह (अ. सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने अपीलार्थी का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-3) दिया। प्रदर्श पी-3 में, उन्होंने (i) दाहिनी जांघ पर सतही जलन (ii) दाहिने घुटने पर 1X1" सतही जलन (iii) दाहिनी टांग पर 2X1" सतही जलन (iv) नाक की नोक पर 1X1½" सतही जलन (v) दोनों भौहें और मूंछें, उसके हाथ और कोहनी तथा दाहिने ओर के बाल भी जले हुए पाए।

23. मृतका का मृत्यकालिक कथन शासकीय चिकित्सालय के डॉक्टर द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने सबसे पहले शाम लगभग 5:30 बजे मृतका का परीक्षण किया था। उन्होंने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि मरीज (मृतका) ने उन्हें बताया था कि उसने स्वयं को आग लगाई थी। डॉक्टर द्वारा दर्ज किया गया मृत्यकालिक कथन विश्वसनीय और सत्यनिष्ठ है। डॉक्टर के साक्ष्य को के. दुरैराज (अ. सा.-9) और विजय कुमार विश्वकर्मा (अ. सा. -10) के साक्ष्य से भी समर्थन प्राप्त है। डॉ. महेश्वर सिंह (अ. सा.-1) के साक्ष्य को देखने से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को भी जलने की चोटें आई थीं। इससे संकेत मिलता है कि जब उसने मृतका को बचाने का प्रयास किया, तब उसे भी जलने की चोटें आईं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. डॉ. महेश्वर सिंह (अ. सा.-1), के. दुरैराज (अ. सा.-9), विजय कुमार विश्वकर्मा (अ. सा. -10) के साक्ष्य और मृत्यकालिक कथन (प्रदर्श पी-2) को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका ने स्वयं को आग लगाई थी। इसलिए, मेरा यह मत है कि अभियोजन निर्णायक साक्ष्य के साथ यह साबित करने में सफल नहीं रहा है कि अपीलार्थी दलबीर सिंह ने मृतका को क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया और उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित या उकसाया जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने आत्महत्या की।

25. उपरोक्त विवेचना और परिस्थितियों से, मैं यह पाता हूँ कि विनय कुमार सिंह (अ. सा.-2), श्रीमती लालमनी (अ. सा.-3), श्रीमती साधना सिंह (अ. सा.-12), जय प्रकाश (अ. सा.-13) और विंध्याचल सिंह (अ. सा.-14) के साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस नहीं हैं। इसलिए, अपीलार्थी दलबीर सिंह की भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498-क के तहत दोषसिद्धि उनके साक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकती। अभियोजन उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी दलबीर सिंह के विरुद्ध विरचित आरोपों को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

26. परिणामस्वरुप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 और 498-क के तहत अपीलार्थी दलबीर सिंह को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं। उसे उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता है।

**सही /-**

**आर.एस. शर्मा**

**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं

व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI**